राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1699/2024

डॉ. अनुपमा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–।। एवं पंचायती राज (मेडिकल) विभाग, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय जिला जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्ष 2022 में चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर जिला अस्पताल जयपुरिया, जयपुर में कार्यरत थी। आदेश दिनांक 03.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी, देवली टोंक किया गया था, जिसके उपरान्त अपीलार्थी ने अपील संख्या 4711/2022 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिस पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 02.11.2022 पारित कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी एंव साथ ही यह भी आदेश दिया था कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण तक अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाए।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण के उक्त आदेश के पश्चात दिनांक 10.11.2022 को अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो अभ्यावेदन काफी समय तक निस्तारित नहीं हुआ। बाद में अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 17.04.2024 के द्वारा किया और अपीलार्थी का अभ्यावेदन निरस्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अब अपीलार्थी को

स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 की पालना में सीएचसी देवली, जिला टोंक स्थानान्तरित किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की वर्तमान में पदोन्नति डीएपीसी स्कीम के तहत कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) के पद पर हो चुकी है। अतः अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी (दन्त) मानते हुए पूर्व के आदेश दिनांक 03.09.2022 को प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी का पूर्व में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा सीएचसी देवली, टोंक किया गया था जो आदेश वर्तमान में करीब डेढ वर्ष पूर्व का है। उस समय अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर कार्यरत थी। वर्तमान अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ दन्त के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुकी है। ऐसे में हम यह पाते हैं कि डेढ वर्ष बाद आदेश दिनांक 03.09.2022 को प्रभाव दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 03.09.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत नये सीरे से स्थानान्तरण करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)